उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-46/2020/एस-2-1299/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-।।।

लखनऊ :: दिनॉक: 20 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता, वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	वित्त अधिकारी, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
2	श्री राधेश्याम, वित्त अधिकारी, महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	वित्त अधिकारी, आजमगढ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-46/2020/एस-2-1299(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3- कुलपति, महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4- कुलपति, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय/आजमगढ राज्य विश्वविद्यालय।
5- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
9- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/आजमगढ/मेरठ/सहारनपुर।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।